न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -

1. वीर सिंह वत्तक पुत्र श्री दरबारा सिंह जाति रायसिख उम्र 49 वर्ष निवासी 3 के. एस.डी. सुखचैनपुरा तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

........वादी.........

बनाम-

1. तारा सिंह पुत्र राजबारा सिंह जाति रायसिख उम्र 75 वर्ष निवासी 3 के.एस.डी. सुखचैनपुरा तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. वानो बाई पुत्री राजबारा सिंह उम्र 60 वर्ष जाति रायसिख निवासी 3 के.एस.डी. सुखचैनपुरा तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. प्रतापराम पुत्र श्री गोपीकिशन जाति ब्राह्मण निवासी 6 पी.टी.डी.(बी) तहसील रायसिंहनगर (राज.)
4. केदार पुत्र श्री गोपीकिशन जाति ब्राह्मण निवासी 6 पी.टी.डी.(बी) तहसील रायसिंहनगर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब (राजस्व)श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर।

......प्रतिवादीगण.......

उपस्थित :- 1. श्री लाजपतराय वकील वादी
2. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 11/2019 निर्णय दिनांक- 21.11.2019

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

यह कि वादी के वत्तक पिता दरबारा सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से चक 3 के.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर में मुरब्बा नं. 6 पत्थर नं. 240/364 के किला नं 1 ता 25 का 6.325 है. कमाण्ड रकबा में वादी के वत्तक पिता दरबारा सिंह का 1/4 हिस्सा भूमि पड़ती है। वादी के वत्तक पिता दरबारा सिंह पुत्र श्री राजबारा सिंह जाति रायसिख निवासी 3 के.एस.डी. का देहान्त दिनांक 04/10/2000 को हो चुका है। वादी के वत्तक पिता दरबारा सिंह का मैं वादी वीर सिंह वत्तक पुत्र दरबारा सिंह जाति रायसिख निवासी 3 के.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर एक ही वारिस हूँ। इसके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। उक्त भूमि जग्गो बेवा राजबार सिंह के नाम से कमाण्ड भूमि आवंटन थी जो कि वादी के पिता दरबारा सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की माता तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का रामो बाई पुत्री राजबार सिंह

लगातार..........2

21/11/19
...बेदा (R.A.S.)
...ड अधिकारी
...विजयनगर

के द्वारा बैय किया गया है। उक्त विवादित भूमि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के दादा की जदूनी जायदाद है। तथा प्रार्थी दरबारा सिंह का वल्दक पुत्र है। इसलिए जदूदी जायदाद है और इस भूमि में हमारे जन्म के दिन से ही हमारा हिस्सा है जो पाने का अधिकारी है। उक्त भूमि हमने बाहमी राजीनामा के अनुसार वादी के पिता दरबारा सिंह के समय से ही उक्त चक 3 के.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर में मुरब्बा नं. 6 पत्थर नं. 240/364 के किला नं. 16, 17, 18, 23 ता 25 में वादी का कब्जा काश्त पुराना चला आ रहा है तथा किला नं. 17 में वीर सिंह की ढाणी भी बनी हुई जिसमें वादी वीर सिंह परिवार सहित निवास कर रहा है। अब कुछ दिनों से प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 के बहकावे में आकर विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहता है और इस भूमि को रहन रख कर लोन भी ले रखा है। इसलिए उसके हिस्सा तक की भूमि ही रहन रखी जावे। उक्त भूमि में हमारा हिस्सा है जो हमने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को राजस्व कागजात में अमलदरामद करवाने के लिए दिनांक 11/03/2019 को पंचायत इकट्ठी की तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। बस यही तारीख बिनाय मुखासमत है व बिनाय दावा वादी को जन्म के दिन से प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी को उक्त भूमि से जबरन बलपूर्वक बेदखल करना चाहते है अब वादी के पास न्यायालय में चाराजोई के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। इसलिए वादी अपने अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी है। जब से पंचायत इकट्ठी की है तब से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 और ज्यादा तैस में आ गये है व धमकिया दे रहे है कि जो तुमको हमने भूमि दे रखी है उससे जबरन बल पूर्वक आपको बेदखल कर कब्जा वापिस प्राप्त करेंगे व भूमि को अन्यत्र किसी को बेचेंगे। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त की भूमि को उपयोग उपभोग व धारण में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी करने से बाज व ममनू रहे। आदि का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि चक 3 के.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर में मुरब्बा नं. 6 पत्थर नं. 240/364 के किला नं. 16, 17, 18, 23 ता 25 भूमि का खातेवार टीनेन्ट घोषित किया जाकर किले वाईज बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के लिए श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर को आदेश भेजा जावे। एवं वादी के हिस्सा में आई भूमि चक 3 के.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर में मुरब्बा नं. 6 पत्थर नं. 240/364 के किला नं. 16, 17, 18, 23 ता 25 कर भूमि पर वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि उसके कब्जा काश्त उपयोग उपभोग व धारण में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलअन्दाजी न करें, किसी प्रकार से किसी को हस्तान्तरण, रहन, बैय न करे, लोन आदि न लेवे व वादी की सिंचाई सुविधा में व्यवधान पैदा न करें। आदि का प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर वाद पत्र के तथ्यों सहमति प्रगट करते हुए निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के पास चक 3 के.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 6 प.नं. 240/364 के किला नं. 4, 5, 6 7, 14, 15 व 16 में 1/4 हिस्सा कुल 1.581 है, कमाण्ड रकबा पड़ता है तथा प्रार्थीगण प्रहलादराम व केदार

लगातार.....3

24/11/19
तलाबिया (R.A.S.)
खण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

पुत्र श्री गोपीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी 6 पी.टी.डी. (बी) की खरीद शुदा है। वीर सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति रायसिख निवासी 3 के.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर के पास चक 3 के.एस.डी. का मु.नं. 6 प.नं. 240/364 के किला नं. 16 में 3/4 व किला नं. 17, 18, 22-1/2, 23, 24, 25 में कुल 1.581 है. रकबा विभाजन में आया है तथा वीर सिंह की 17 नम्बर किला में ढाणी बनी हुई है। वीर सिह को उक्त भूमि दी जाती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। आदि प्रस्तुत कर निस्तारण करने का निवेदन किया। अप्रार्थी पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई।

बहस पर मनन किया और पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि दरबारा सिंह पुत्र खजवारा सिंह के नाम से दर्ज थी। दरबारा सिंह का देहान्त हो चुका है। ग्राम पंचायत 3 के.एस.डी. के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक दरबार सिंह का एकमात्र वारिस वीर सिंह वादी को बताया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत वादी को दरबारा सिंह को वारिस होना बताया और दरबार सिंह की सम्पति में कोई हक व हिस्सा नहीं लेने का कथन करते हुए दरबार सिंह की भूमि वादी वीर सिंह के नाम नामान्तरण किये जाने पर कोई एतराज नहीं होना वर्णित किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा भी वाद पत्र के तथ्यों से सहमति प्रकट की व विभाजन करने का निवेदन किया। अतः तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार से है :-

<u>तनकी सं 1</u>

आया वादी विवादग्रस्त आराजी का काश्तकार घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के शपथ पत्र आदि का अवलोकन करने से यह सिद्ध होता है कि वादी मृतक दरबारा सिंह का जायज वारिस है। अतः पिता दरबारा सिंह के हक व हिस्से तक जायज वारिस है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा मुश्तरका दर्ज रिकॉर्ड भूमि है। इसलिए वादी विवादित भूमि का विभाजन करवाने की अधिकारी है।

अतः यह तनकी संख्या 1 वादी के हक में कायम की जाती है।

<u>तनकी सं 2</u>

आया वादी स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का विधिक अधिकारी है?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के शपथ पत्र आदि का अवलोकन करने से यह सिद्ध होता है कि वादी मृतक दरबारा सिंह का जायज वारिस है। अतः पिता दरबारा सिंह के हक व हिस्से तक जायज वारिस है। जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा मुश्तरका दर्ज रिकॉर्ड भूमि है। इसलिए वादी विवादित भूमि का विभाजन करवाने की अधिकारी है।

अतः यह तनकी संख्या 2 वादिया के हक में कायम की जाती है।

लगातार.....4

तलाविया (R.A.S.)
खण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 3 :- अनुतोष

दोनों पक्ष अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।

इस प्रकार तनकी संख्या 01 व 02 बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती हैं।

विवेचन

उक्त बिन्दू की गई तनकी अनुसार यह पाया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में वाद ग्रस्त आराजी भूमि में वादी दरबारा सिंह का जायज वारिस है और उसके हिस्से व हक 1/4 हिस्सा का स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी का उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा बनता है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को विवादित आराजी चक 3 के.एस.डी. तहसील श्री विजयनगर में मुरब्बा नं. 6 पत्थर नं. 240/364 के किला नं 1 ता 25 का 6.325 है. कमाण्ड रकबा में दरबारा सिंह का 1/4 हिस्सा का खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्री विजयनगर उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे।

चूंकि प्रार्थी ने अपने वाद पत्र में खाता विभाजन का भी निवेदन किया है इसलिए तहसीलदार श्री विजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य खाता विभाजन प्रस्ताव राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार कब्जा काश्त एवं खाला व रास्ता की सुविधा को देखते हुए न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करे। इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.11.2018....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka 21/11/18

(प्रियंका तलानिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner